न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 29 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

1. भंवर लाल पिता खेरा जी खेर (भील), निवासी गणेशपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. लक्ष्मण लाल पिता खेरा जी खेर (भील), निवासी गणेशपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. शंकर लाल पिता खेरा जी खेर (भील), निवासी गणेशपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
4. शिव लाल पिता खेरा जी खेर (भील), निवासी गणेशपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती नवली बाई बेवा खेरा जी खेर (भील), निवासी गणेशपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जोगाराम पिता देवा खराडी (भील), निवासी गांव चन्दवास, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. भैरा पिता देवा खराडी (भील), निवासी गांव चन्दवास, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. भीमा पिता देवा खराडी (भील), निवासी गांव चन्दवास, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
4. हरजी पिता देवा खराडी (भील), निवासी गांव चन्दवास, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
5. हवला पिता देवा खराडी (भील), निवासी गांव चन्दवास, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती हिरकी बेवा देवा खराडी (भील), निवासी गांव चन्दवास, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी झाडोल
दिनांक 25.04.2017 प्र.सं. 16/2015

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जगदीश पूर्बिया अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पूनमचन्द मीणा अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 5
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 7

———::———

निर्णय दिनांक 28–01–2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गणेशपुरा में आराजी नंबर 249, 250, 344, 346, 261, 262 व 263 स्थित है, जिसमें से आराजी नंबर 249 व 250 के साबिक आराजी नंबर 155 होकर जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 के खाता संख्या 48 पर वादी के दादा दल्ला पिता होमा भील के नाम 1/2 हिस्सा बहैसियत खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नंबर 344 व 346 के साबिक आराजी नंबर 175 एवं आराजी नंबर 261 व 262 के साबिक आराजी नंबर 160 मी. हैं तथा आराजी नंबर 263 के साबिक आराजी नंबर 160 मी. 145 मी. हैं। उपरोक्त साबिक आराजी नंबर 175, 160 व 145 जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 के खाता संख्या 49 पर वादी के दादा दल्ला पिता होमा भील का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। दल्ला का एक मात्र पुत्र भेरा होकर वादीगण उसके वारिस हैं। दल्ला जी अपने जीवनकाल में धुली नाम की महिला को नाते लाये थे, जिसका विवाह पूर्व में पुना खराडी से हुआ था, जिसका पुत्र देवा हुआ। देवा दल्ला का पुत्र नहीं है, सिर्फ उसके यहां पला बडा हुआ है, लेकिन राजस्व कर्मियों ने दल्ला के देहावसान पर बिना वादीगण को सुने देवा को भी वादीगण के पिता भेरा के साथ दल्ला का पुत्र मानकर उसका नाम भी दर्ज कर दिया, जबकि वह धूला के पूर्व पति का पुत्र है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर देवा पिता दल्ला के नाम जो भूमियां दर्ज हैं, उनका एक मात्र खातेदार वादीगण को घोषित किया जाकर देवा का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25–04–2017 से वादीगण का वाद साबित नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 25–07–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री पूनम चन्द मीणा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपील ने यह कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के पिता व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के पति देवा खराडी मूलतः गांव चन्दवास के निवासी थे। चूंकि देवा के पिता पुना खराडी की मृत्यु देवा के बाल्याकाल में ही हो गया थी इस कारण देवा की मां धूली दल्ला से नाता विवाह के समय देवा को साथ लेकर ग्राम गणेशपुरा आयी थी, जिसकों राजस्व कर्मियों ने बिना दल्ला के वारिसों की जांच किये देवा को दल्ला का पुत्र मानकर राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित कर दिया। इस कारण वादीगण ने देवा का नाम हटाये जाने का निवेदन किया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्टगण को विवादित भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर देवा पिता दल्ला का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विरासत के नामान्तरकरण वादीगण के पिता भेरा तथा प्रतिवादीगण के पिता देवा के जीवनकाल में ही दर्ज होकर निस्तारित हुए हैं, जिसे दावा दायरी के वक्त 43 वर्ष हो चुके हैं तथा देवा व भेरा के मृत्यु के पश्चात यह वाद प्रस्तुत किया गया है, उनके जीवनकाल में वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही इस सम्बन्ध में कोई

दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25–04–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

भंवरलाल पिता खेरा जी खेर (भील) निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **जोगाराम पिता देवा खराडी (भील) नि0 गांव चन्दवास, तह0 झाडोल, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**29 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **झाडोल** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....25**.....माह.....**04**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह.....**01**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री जगदीश पूर्बिया**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री पूनमचन्द मीणा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25–04–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**01**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.13 12:21:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: